PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक:2069/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/आई0आर–2 **दिनांक: 01 /12/2023**

परिपत्र

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष, पिटकुल,
.... ।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1140/।(2)/2023–05–107/2003 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में **"अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966" एस्मा (ESMA)** तत्कालिक प्रभाव से छः मास की अवधि के लिए लागू किया गया है तथा अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पिटकुल में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध कर दी गयी है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया अधिसूचना को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए अपने अधीनस्थ सभी कार्मिकों को उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथापरोक्त।

(ए0के0 जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

पत्रांक: /म0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ आई0आर0–2 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वह इस परिपत्र को संलग्नक सहित पिटकुल की वेबसाईड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करे।
4. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/सूचना पट।

(ए0के0 जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्याः /I(2) /2023-05-107/2003
देहरादून : दिनांक 30 नवम्बर, 2023

:अधिसूचना:

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम,1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्व करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या–1140/ I(2)/2023–05–107/2003 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक/अपर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के आगामी अंक में विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित। असाधारण गजट की 100 प्रतियाँ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
3. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0/पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0/उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में चस्पा करने का कष्ट करें।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस, अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
10. गार्ड फाईल।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव